

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-1, जनपद- चित्रकूट।

सत्र परीक्षण संख्या-73/2012

सरकार

बनाम

राम सिंह आदि

अपराध संख्या-249/2011

धारा-147,148,149,307 भा.दं.सं.

थाना-मानिकपुर, जनपद चित्रकूट।

दिनांक 20.08.2026

अभियुक्त राम सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482, संख्या-9290/2023 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 20.04.2023 के अनुक्रम में सत्र परीक्षण संख्या-73/2012, मुकदमा अपराध संख्या-249/2011, धारा-147,148,149,307 भा0दं0सं0, थाना-मानिकपुर, जनपद चित्रकूट की कार्यवाही को समाप्त करने की प्रार्थना की गयी है।

प्रस्तुत आदेश का सत्यापन कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय चित्रकूट से कराया गया, जिनके द्वारा उक्त आदेश को जांचने और उसके पुष्ट होने की टीप अंकित की गयी है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482, संख्या-9290/2023, अमर सिधंड़ व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांकित 2004.2023 का प्रभावी भाग निम्नलिखित है:-

Accordingly, the entire proceedings of Session Case No. 73 of 2012 (State Vs. Ram Singh and Other) arising out of Case Crime No. 249 of 2011, under Sections 147, 148, 149, 307 IPC, Police Station Manikpur, District Chitrakoot, pending in the court of Additional Sessions Judge, Court No.2, Chitrakoot, are hereby quashed.

अतः उक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि सत्र परीक्षण संख्या-73/2012, उ0प्र0 राज्य बनाम राम सिंह व अन्य मुकदमा अपराध संख्या-249/2011, धारा-147,148,149,307 भा0दं0सं0, थाना-मानिकपुर, जनपद चित्रकूट की सम्पूर्ण कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा क्वैश कर दी गयी है। अतः उपरोक्त कारणों से सत्र परीक्षण संख्या-73/2012, मुकदमा अपराध संख्या-249/2011, धारा-147,148,149,307 भा0दं0सं0, थाना-मानिकपुर, जनपद चित्रकूट की पत्रावली को लम्बित रखने का कोई विधिक आधार नहीं है। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 20.04.2023 के अनुपालन में सत्र परीक्षण संख्या-73/2012, मुकदमा अपराध संख्या-249/2011, धारा-147,148,149,307 भा0दं0सं0, थाना-मानिकपुर, जनपद चित्रकूट की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। तदनुसार पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक-20.08.2026

(राहुल मिश्रा)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या-1, चित्रकूट।